भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4173
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पोषण अभियान

4173. **श्री दुरई वाइको:**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोषण अभियान के भाग के रूप में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के चुनौतीपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) तथा आयुष मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के परिणाम का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) 'पोषण माह' के एक या अन्य विषय के समर्थन में पोषण-केंद्रित जन आंदोलनों को प्रोत्साहन देने के लिए विगत पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई गतिविधियों, ऐसी गतिविधियों के लिए आवंटित निधियों का मंत्रालयवार, वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): पोषण अभियान मार्च 2018 में शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौतियों के समाधान के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और वकालत जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा में सुधार के लिए नई कार्यनीति बनाई गई है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि दुबलापन, बौनापन, एनीमिया और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।
इसके अलावा, आयुर्वेद कार्यकलाप के माध्यम से किशोरियों में पोषण संबंधी सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, दोनों मंत्रालय साक्ष्य-आधारित आयुर्वेदिक कार्यकलापों के माध्यम से किशोरियों (14-18 वर्ष की आयु) में एनीमिया के प्रबंधन के लिए पांच उत्कर्ष जिलों (धुबरी-असम, बस्तर-छत्तीसगढ़, पश्चिमी सिंहभूम-झारखंड, गढ़चिरौली-महाराष्ट्र और धौलपुर-राजस्थान) में पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सहयोग कर रहे हैं।

इस मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्यकलाप सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन है, जिसके तहत लोगो को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण गतिविधियों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण संबंधी प्रथाओं में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने होते है।

वर्ष 2018 से अब तक 13 जन आन्दोलनों के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक जन आन्दोलन गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें 7 पोषण माह और 6 पोषण पखवाड़ा शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक ने न केवल लक्षित लाभार्थियों, बल्कि बड़े पैमाने पर समुदायों को संवेदनशील बनाने में मदद की।

सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के दिशानिर्देशों के अनुसार, पोषण पखवाड़ा और पोषण माह से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रति वर्ष प्रति जिला कुल 5 लाख रुपये जारी किए जाते हैं, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल बजट में शामिल होता है।

अब तक सभी जन आन्दोलनों में आयोजित गतिविधियों की वर्षवार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी कुल निधियां **अनुलग्नक II** में दी गई है।

****

अनुलग्नक-I

"पोषण अभियान" के संबंध में श्री दुरई वाइको द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4173 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अब तक सभी जन आन्दोलनों में आयोजित गतिविधियों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**पोषण माह गतिविधियां (करोड़**	**पोषण पखवाड़ा गतिविधियां (करोड़ में)**
2024	13.70	17.15
2023	39.38	4.89
2022	17.57	2.96
2021	20.30	2.21
2020	14.08	1.36
2019	3.62	0.83
2018	0.22	-

अनुलग्नक- II

"पोषण अभियान" के संबंध में श्री दुरई वाइको द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4173 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2024-25 तक मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत जारी निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**राशि करोड़ रुपये में**			
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		जारी निधि	**जारी निधि**	**जारी निधि**	**जारी निधि ***
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.71	3.85	12.15	2.06
2	आंध्र प्रदेश	744.60	827.79	705.68	145.75
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	137.78	162.06	7.47
4	असम	1319.90	1651.63	2233.31	370.14
5	बिहार	1574.43	1740.09	1859.29	1358.19
6	चंडीगढ़	15.32	33.10	19.79	12.08
7	छत्तीसगढ़	606.73	668.96	579.46	386.80
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	9.33	5.80	11.97	1.02
9	दिल्ली	133.11	182.77	161.81	30.92
10	गोवा	10.84	14.71	13.95	9.75
11	गुजरात	839.86	912.64	1126.80	188.86

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि करोड़ रुपये में			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि *
12	हरियाणा	173.03	195.25	225.78	177.77
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	270.24	301.09	217.60
14	जम्मू एवं कश्मीर	405.74	479.01	530.88	340.16
15	झारखंड	352.98	430.91	664.30	333.40
16	कर्नाटक	1003.70	765.87	912.96	624.78
17	केरल	388.23	444.98	306.64	214.75
18	लद्दाख	14.70	18.79	19.62	9.03
19	लक्षद्वीप	2.11	0.44	2.88	1.07
20	मध्य प्रदेश	1085.47	1011.57	1123.11	1133.95
21	महाराष्ट्र	1713.39	1646.17	1699.52	867.90
22	मणिपुर	228.92	135.95	201.28	136.50
23	मेघालय	173.33	192.39	269.69	80.28
24	मिजोरम	59.32	42.81	100.27	0.00
25	नागालैंड	159.80	199.30	262.91	109.84
26	ओडिशा	1065.98	923.92	968.80	665.91
27	पुद्दुचेरी	2.78	0.12	4.48	2.60
28	पंजाब	383.52	75.31	307.87	171.00
29	राजस्थान	682.65	974.02	1091.96	656.86
30	सिक्किम	25.73	20.33	33.49	0.00

क्र. सं.	राज्य का नाम	राशि करोड़ रुपये में			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि *
31	तमिलनाडु	655.38	766.81	880.79	493.87
32	तेलंगाना	482.33	550.69	507.87	55.29
33	त्रिपुरा	186.72	150.52	244.22	69.92
34	उत्तर प्रदेश	2407.55	2721.87	2668.69	1767.11
35	उत्तराखंड	353.65	425.84	288.24	118.69
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1227.59	1237.56	1266.17

* 20 नवंबर 2024 तक जारी निधि

*****